148

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्रं. /2016 पुनरीक्षण R 146-II-17

श्रीमती देवासी पत्नी कालीचरण साहू
निवासी ग्राम जुबाड़ी तहसील व जिला
सिंगरौली (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन

.... अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर, जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/अ–74/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 23.10.12 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, वाद भूमि ख.नं. 48 रकवा 12.140 है0 भूमि म.प्र. शासन दर्ज थी जो वर्ष 1980–81 में पंजी क्रं. 73 पर आदेश दिनांक 20.6.81 को नायब तहसीलदार अमिलिया ने विनोद कुमार पुत्र संतराम सतनामी व अशोक कुमार पुत्र संतराम सतनामी निवासी नौगढ़ के नाम निजी स्वत्व में दर्ज की गई थी। जिस पर वह निरंतर काबिज है। उक्त भूमि में से अंश रकवा 2.000 है0 (दो है0) भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.08.09 से विक्रेता अशोक कुमार संतराम से आवेदक श्रीमती देवासी ने क्रय कीजो ख.नं. 48/2/क/2 रकवा 2.000 है0 भूमि आवेदक के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई खसरा वर्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 146–दो/2017 जिला– सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
९–02–2017	1– यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर सिंगरौली जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 16/अ–74/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 23.10.12 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम अमलौरी तहसील सिंगरौली की कतिपय शासकीय भूमियों को अवैध रूप से निजी स्वामित्व में दर्ज अभिलेख किए जाने की शिकायतों पर से कलेक्टर द्वारा अपर कलेक्टर सिंगरौली, उपखंड अधिकारी सिंगरौली संयुत कलेक्टर सिंगरौली एव तहसीलदार सिंगरौली से जांच कराई गई । जांच दल द्वारा जांचोपरांत ग्राम अमलौरी तहसील सिंगरौली स्थित कतिपय भूमियां जिनमें प्रश्नाधीन भूमि ख.नं. 48/2/क/2 रकवा 2.000 है0 भूमि भी शामिल है के संबंध में जांच प्रतिवेदन दिनांक 20.07.2012 को प्रस्तुत किया गया कि उक्त भूमियां म.प्र. शासन राजस्व विभाग की है जिनके अभिलेखों में अवैध रूप से निजी स्वामित्व में दर्ज किया गया है। निजी स्वामित्व में दर्ज किये जाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। प्रतिवेदन में उल्लिखित विभिन्न व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में दर्ज भूमियों को पूर्ववत म.प्र. शासन के स्वामित्व में दर्ज किए जाने की अनुशंसा की गई। कलेक्टर ने उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्र.क्र. 16/अ–74/12–13 पंजीबद्ध करते हुये आदेश दिनांक 23.10.12 द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों	

कृ.पृ.उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	में अभिलिखित भूमिस्वामियों के नाम विलोपित करते हुये पूर्ववत म.प्र. शासन के स्वामित्व में दर्ज अभिलेख किये जाने के आदेश दिये गये। कलेक्टर के इस आदशे के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवकता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि ग्राम अमलोरी पटवारी हल्का नौगढ़ तहसील सिंगरौली स्थितबाद भूमि ख.नं. 48 रकवा 12.140 है0 भूमि म.प्र. शासन दर्ज थी का वर्ष 1980–81 में पंजी क्रं. 73 पर आदेश दिनांक 20.6.81 को नायब तहसीलदार अमिलिया ने विनोद कुमार, अशोक कुमार पुत्रगण संतराम सतनामी के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज की गई थी जिस पर वह निरंतर काबिज होकर राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी दर्ज चले आ रहे थे। उक्त भूमि में से अंश रकवा 2.000 है0 भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.8.09 से आवेदक ने विकेता अशोक कुमार से कय की है जो ख.नं. 48/2/क/2 रकवा 2.000 है0 भूमि आवेदक के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई खसरा वर्ष 2011–12 तक निरंतर दर्ज रही। कलेक्टर सिंगरौली ने प्र. क्रं. 16/अ–'74/12–13 म.प्र. शासन वि. रामवती दर्ज कर आवेदक व अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना अपने आदेश के पृष्ठ क्रं. 4 सरल क्रं. 17 में ख.नं. 48 रकवा 12.140 है0 भूमि अंकित कर इसी प्रकार उक्त आदेश के साथ संलग्न जांच प्रतिवेदन दिनांक 20.7.2012 में पृष्ठ क्रं. 19 (8) पद क्रं. 21 में भूमि ख.नं. 48 रकवा 12.140 है0 भूमि के वर्तमान में अभिलिखित 16 भूमि स्वामियों के नाम अंकित कर जिसमें आवेदक श्रीमती देवासी का नाम भी सम्मिलित है। जिस समय कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किया गया उस समय भूमि उक्तानुसार	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 146—दो/2017 जिला— सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	राजस्व अभिलेखों में अंकित थी। कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक एवं विकेता अशोक कुमार व अन्य को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है एवं उनके पीठ पीछे भूमि को म.प्र. शासन दर्ज किया गया है जो पूर्णतया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। यह भी तर्क दिया गया है कि जांच दल द्वारा जांचप्रतिवेदन के पृष्ठ 19 पद कं. 21 में भूमि ख.नं. 48 रकवा 12.140 है0 भूमि नायब तहसीलदार अमिलिया के पंजी कं. 73 दिनांक 20.6.81 के आधार पर विनोद कुमार, अशोक कुमार के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज की गई है किन्तु उक्त प्रविष्टि अवैध है । उक्त प्रतिवेदन भूमिस्वामियों के पीठ पीछे एक ही स्थान पर बैठकर तैयार किया गया है तथा जांच दल द्वारा भी उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया है तथा जानबूझकर भूमियों को शासकीय घोषित किया गया है। यदि आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता तो वह इस संबंध में सही स्थिति रख सकते थे। अतः उक्त अवैध जांच प्रतिवेदन को आधार बनाकर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 23.10.12 पारित करने में त्रुटि की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि उनका संबंध केवल उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि वर्तमान ख.नं. 48/2/क/2 रकवा 2.000 है0 (दो हैक्टर) भूमि तक है कलेक्टर के सम्पूर्ण आदेश से उन्हें कोई लेना देना नहीं है।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	यह भी तर्क दिया गया कि कलेक्टर द्वारा पट्टा प्राप्त होने के 30 वर्ष एवं आवेदक द्वारा क्रय करने के 3 वर्ष पश्चात स्वमेव शक्तियों का उपयोग किया गया है जो विधि संगत नहीं है। इस संबंध में उनके द्वारा राजस्व मण्डल माननीय उच्च नयालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के अनेक न्याय दृष्टांतों का हवाला दिया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 23.10.12 पारित करने के पूर्व पट्टों को निरस्त करने के बावत कारण बताओ सूचना पत्र जारी करना था एवं सुनवाई के उपरांत कानूनन निर्णय किया जाना चाहिए था जबकि इस प्रकरण में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है एवं जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि कलेक्टर ने पट्टेदार विनोद कुमार अशोक कुमार के पक्ष में जारी बंटन आदेश को अन्य व्यक्तियों के पक्ष में जारी किए गए बंटन आदेशों के साथ सम्मिलित कर मात्र उपधारणाओं पर आधारित कर वैध बंटन आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है। उक्त आधारों पर उनके द्वारा कलेक्टर के आलोच्य आदेश को सर्वे नं. 48/2/क/2 रकवा 2.000 है0 भूमि के संबंध में निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। 4— अनावेदक म.प्र. शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जो आदेश पारित किये गये हैं वह विधिवत एवं सही होने से स्थिर रखे जाने एवं वर्तमान निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। 5— उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया तथा आलोच्य	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 146–दो/2017 जिला– सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आदेश का परिशीलन किया। नायब तहसीलदार अमिलिया के पंजी. कं. 73 आदेश दिनांक 20.6.81 द्वारा ग्राम अमलोरी पटवारी हल्का नौगढ़ तहसील सिंगरौली में स्थित प्रश्नाधीन शासकीय भूमि ख.नं. 48 रकवा 12.140 है0 भूमि विनोद कुमार अशोक कुमार पुत्रगण संतराम सतनामी के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज की गई थी। उक्त आदेश दिनांक 20.6.81 द्वारा की गई प्रविष्टि को लगभग 30 वर्ष पश्चात कलेक्टर सिंगरौली ने स्वप्रेरणा निगरानी में लेकर आवेदक एवं पट्टेदार (विक्रेता) विनोद कुमार, अशोक कुमार व अन्य व्यक्तियों के बाद भूमि पर से राजस्व अभिलेख में से नाम काटे जाकर म.प्र. शासन के नाम दर्ज करने में त्रुटि की है आवेदक ने बाद भूमि ख.नं. 48/2/क/2 रकवा 2.000 है. भूमि पट्टेदार अशोक कुमार से रजिस्टर्ड विकय पत्र से क्रय की है तदनुसार आवेदक श्रीमती देवासी का राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर नाम दर्ज हो गया । कलेक्टर के आदेश से यह भी स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक आदि को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के पूर्णतः विपरीत है । इस कारण कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.10.2012 में आवेदक (क्रेता) की वाद भूमि ख.नं. 48/2/क/2 रकवा 2.000 है0 (दो हैक्टर) भूमि के संबंध में निकाले गये निष्कर्ष एंव पारित आदेश का अंश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।	

कृ.पृ.उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर द्वारा पारित आलोच्य आदेश का अंश जहां तक आवेदक के स्वामित्व की भूमि ख. नं. 48/2/क/2 रकवा 2.000 है0 (दो हेक्टर) भूमि का संबंध है। निरस्त किया जाता है तथा कलेक्टर का शेष आदेश स्थिर रखा जाता है। तहसील सिंगरौली को निर्देशित किया जाता है आवेदक के हक में हुये नामांतरण आदेश के अमल को राजस्व अभिलेख में से उक्त आदेश के पालन में आवेदक का नाम काटा जाकर म.प्र. शासन दर्ज किया गया हो तब उसे पुनः पूर्ववत आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर राजस्व अभिलेख में दर्ज करें। सदस्य	